न्यायालय : अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम, बिरौल, दरभंगा।
जिला – दरभंगा, बिहार CRI-28/22

Ghanshyampur P.S.Case No:- 216/2021
GR. No. 591/2021

31-03-2022

अभिलेख संज्ञान के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ। देखा। सम्पूर्ण काण्ड दैनिकी का परिशीलन किया एवं संज्ञान के बिन्दु पर विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना।

अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामला सूचक सीमा प्रवीण पति मो0 फुल हसन के आवेदन पर पुलिस द्वारा घनश्यामपुर थाना काण्ड संख्या 216/2021 दिनांक 09.09.2021 भा0दं0वि0 की धारा 341,323,324,308,354(B),379,504/34 के अंतर्गत अभियुक्त 1. मो0 नौशाद, 2. मो0 समीर दोनों पे0 स्व0 नेसार, 3. गिन्नी खातुन पति स्व0 नेसार, 4. फरीद पे0 कैयुम, 5. कैयुम पे0 स्व0 अब्दुल रउफ, 6. शबनम खातुन पति कैयुम, एवं 7. अफसाना खातुन पति फरीद के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा अनुसंधानोपरान्त अभियुक्त 1. मो0 नौशाद, 2. मो0 सीमर, 3. गिन्नी खातुन, 4. फरीद, 5. शबनम खातुन एवं 6. अफसाना खातुन को भा0द0वि0 की धारा 341,323,324,308,354,504/34 के अंतर्गत आरोपित करते हुए आरोप पत्र संख्या 277/2021 दिनांक 04.12.2021 काण्ड दैनिकी के साथ न्यायालय में समर्पित किया है तथा आरोपित अभियुक्त का नाम आरोप पत्र के कालम 11(i) में दर्ज किया है। प्राथमिकी नामजद अभियुक्त मो0 अब्दुल कैयूम पे0 स्व0 अब्दुल रउफ का नाम अनुप्रेषित किया गया है तथा उनका नाम आरोप पत्र के कॉलम 12(i) में दर्ज किया गया है।

प्राथमिकी, आरोप पत्र, जख्म प्रतिवेदन एवं काण्ड दैनिकी के आधार पर आरोप पत्र के कॉलम 11(i) एवं 12(i) में वर्णित सभी प्राथमिकी नामजद अभियुक्त 1. मो0 नौशाद, 2. मो0 समीर दोनों पे0 स्व0 नेसार, 3. गिन्नी खातुन पति स्व0 नेसार, 4. फरीद पे0 कैयुम, 5. शबनम खातुन पति कैयुम, एवं 6. अफसाना खातुन पति फरीद के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा 341,323,324,308,354,504/34 के अंतर्गत अपराध का प्रथमदृष्टया मामला बनता हुआ पाया जाता है, तदनुसार अभियुक्त 1. मो0 नौशाद, 2. मो0 सीमर, 3. गिन्नी खातुन, 4. फरीद, 5. शबनम खातुन एवं 6. अफसाना खातुन के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा 341,323,324,308,354,504/34 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है तथा अभिलेख दौरा सुपुर्दगी हेतु निजी विचारण पंजिका में दर्ज किया जाता है। कार्यालय अभियुक्तों के विरूद्ध समन निर्गत करें। कार्यालय अभियुक्तों के विरूद्ध समन निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 20-5-22 को अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु नियत।

टंकित/लेखापित

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम,
बिरौल, दरभंगा